सार-समाचार

जरूरतमंदों को कंबल बांटे

पुष्कर, । नगर परिषद पुष्कर के निवर्तमान अध्यक्ष कमल पाठक ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं अहम भूमिका निभाए। परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष पाठक सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को राहत देने के लिए गर्म वस्त्र वितरण अभियान के शुभारंभ के दौरान जवाहर फाउंडेशन के प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उपमंडल वन संरक्षक सुगनाराम जाट ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है, इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं हैं। हमें हर संभव जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जवाहर फाउंडेशन पुष्कर के प्रभारी ताराचंद गहलोत ने बताया कि कड़ाके की ठंड से राहत प्रदान करने के लिए जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजु झुनझुनवाला के निर्देशानुसार सोमवार को रेलवे लाइन के पास महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय स्मारक पर नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष कमल पाठक, उप मंडल वन संरक्षक सुगनाराम जाट के नेतृत्व में निर्धन असहाय दिहाड़ी मजदूरों एवं जरूरतमंदों को 150 कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, एडवोकेट अरुण वैष्णव, बार कौंसिल पुष्कर अध्यक्ष कुलदीप पाराशर, मामराज सेन, शैलेश गौड़, जगदीश कुर्डिया, दामोदर मुखिया, डॉ. अजय सैनी, मुकेश फुलवारी, मुख्तयार अहमद, नितेश गहलोत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए।

सडक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन

अजमेर (कासं)। 'संत फ्रांसिस विद्यालय में सोमवार को 'राष्ट्रीय सडक सुरक्षा सप्ताह' का आयोजन किया गया।सडक सुरक्षा सप्ताह समारोह के विशेष अतिथि जिला परिवहन अधिकारी सुमन भाटी तथा सी ओ आयुष वशिष्ठ प्रकाश चन्द जैन रहे। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता रहे। कार्यक्रम के प्रारम्भ में विद्यार्थियों को सडक सुरक्षा विषय पर रोचक फ़िल्म दिखाई गई। तत्पश्चात कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुमन भाटी द्वारा बच्चों को यातायात के मुख्य नियमों, सडक चिन्हो का ध्यान रखने, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने और गति सीमा का ध्यान रखने से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। आयुष वशिष्ठ द्वारा बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा भी दिलवाई गई। विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा विषय पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया।

व्यापारियों ने मनाया पौष बड़ा उत्सव

अजमेर, (कासं)। नारी शाला व्यापारिक एसोसिएशन के व्यापारियों ने सोमवार को पूर्णिमा के अवसर पर लोहडी पर्व पर पौष बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया। मुख्य अतिथि श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के उपाध्यक्ष चेतन सैनी, महासचिव रमेश लालवानी ने अशोक नगर नारी शाला चौराहे स्थित महादेव मंदिर में शिव परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना की। रमेश लालवानी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि महासंघ से जुडे व्यापारी पदाधिकारी एवं व्यापारी वर्ग अपने व्यवसाय के साथ-साथ देश हित के कार्य, व्यापारी समस्याओं के समाधान, सामाजिक सरोकार व धार्मिक कार्य करते रहते है। चेतन सैनी ने व्यापारियों की समस्याओ के शीघ्र समाधान की मांग भी की।

मशीन का फीता काट कर किया शुभारंभ

मेड़ता सिटी । मेड़ता उपजिला अस्पताल में मेड़ता लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण राम कलरू व जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रयोगशाल में नई आधुनिक तकनीकी सीबीसी मशीन का फीता काट कर शुभारंभ किया गया । मेड़ता विधायक कलरू ने बताया कि नई आधुनिक सीबीसी मशीन जिसमें सीबीसी मशीन में रिपोर्टिंग की गुणवत्ता के साथ रिपोर्ट दी जाएगी जिसको लेकर इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता नवरतन मल सिंघवी , पूर्व पालिका अध्यक्ष पवन परतानी, सरपंच राजू गौड़ , सुशील भादू , बलदेव लटियाल , मेड़ता चिकित्सा प्रभारी डॉ रामेश्वर बेनीवाल , डॉ कमलेश गोरा , डॉ ललित चौधरी , , डॉ सुखदेव राव , जब्बर चंद भाटी , ओमप्रकाश माली , गजेंद्र सिंह , सुरेंद्र जांगिड़ , लेब इंचार्ज श्याम सिंह राठौड, हेमाराम चौधरी , अभिषेक वैष्णव सहित कई कार्यकर्ता व स्टाफ मौजूद थे ।

गोवंश के दो पैर कटे मिलने से माहौल गर्माया

भीलवाड़ा। जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र स्थित सबलपुरा गांव के बाहर गोवंश के दो पैर कटे मिलने से क्षेत्र का माहौल गर्म गया, इसके साथ ही नजदीक ही एक खेत में पशु अवशेष मिलने की खबर सुनकर बडी संख्या में ग्रामीण जुट गये। ग्रामीणों ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

ग्रामीणों ने बताया कि सबलपुरा गैस गोदाम के नजदीक एक गोवंश के पीछे के दो पैर काट दिये जाने की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पर एंबुलेंस के साथ ही तहसीलदार भीलवाडा, डीएसपी सदर श्याम सिंह व मंगरोप थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गोवंश को उपचार के लिए नजदीक ही कृष्ण गोशाला ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया।

ग्रामीणों का कहना है कि घायल नंदी के पास से खून के निशान देखते हुये ग्रामीण एक खेत पर पहुंचे। जहां एक झोंपड़ी बना रखी थी।

बताया जा रहा है कि इसी झोपडी से घायल गोवंश निकलकर आये थे। ग्रामीणों ने जब वहां छानबीन की तो वहां गौवंश के कटे हुई कई अवशेष मिले। चमड़ी, बछडों के छोटे-छोट पैर भी मिले।

ग्रामीणों ने कहा कि बेरहमी के साथ नंदी के दोनों पैर असामाजिक तत्वों ने काट दिये। ग्रामीणों ने कहा कि गौवंश पर हो रहे अत्याचार से ग्रामीणों के साथ ही गौभक्तों और हिंदू संगठनों में भी रोष देखा गया। ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन से इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस ने एक संदिग्ध को इस मामले में डिटेन किया है।

भाजपा मंडल अध्यक्ष ने होनहार छात्रा को स्कूटी दी

सरवाड़। सरवाड़ शहर मे स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय की होनहार छात्रा सुश्री माहेनूर खानम शेख को राज्य सरकार की तरफ से कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी प्रदान की गई वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खटीक ने होनहार छात्रा सुश्री माहेनूर खानम शेख को राज्य सरकार की और से स्कूटी प्रदान कर उसके उज्ववल भविष्य की कामना की गई इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य फरीद मोहम्मद शेख सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहें।

पतंगबाजी के दौरान बिजली लाइनों से बनाए दूरी

■ डिस्कॉम एमडी ने की सावधानी बरतने की अपील

अजमेर, (कासं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने पतंगबाजी के दौरान होने वाले हादसों से बचने के लिए सुरक्षा उपाय साझा करते हुए डिस्कॉम एमडी केपी वर्मा ने सोमवार को एक वीडियो जारी कर आमजन व उपभोक्ताओं से सावधानी बरतने की अपील की है। अजमेर डिस्कॉम के एमडी केपी वर्मा ने कहा कि बिजली लाइन के आसपास पतंग उड़ाने के दौरान बिजली दुर्घटनाओं के प्रकरण ज्यदा देखने में आते है। निगम ने पतंगबाजी के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। किसी भी व्यक्ति को बिजली लाइन के संपर्क में आने के संभावित खतरे को कम नहीं आंकना चाहिए। पतंग, चाईनीज मांझे बिजली की लाइन छूने पर करंट, पतंग उड़ानेवाले व्यक्ति तक पहुंच सकता है। मकानों के पास से गुजर रही बिजली की लाइनों के आसपास पतंग उड़ाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

सिन्ध की भूमि पाने के लिए अंतिम क्षण तक हो प्रयास:लोहाणा

अजमेर, 13 जनवरी (कासं)। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आज महाराजा दाहरसेन की स्मृति स्थल पर है, जिन्होने अपना पूरा परिवार मातृ भूमि की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया, ऐसी भावना हम में भी जागृत है कि सिन्ध की भूमि को अपने अन्तिम क्षण तक पाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ऐसे प्रेरणा केन्द्र के लिए हम ओंकार सिंह लखावत का धन्यवाद व आभार प्रकट करते है और उनकी प्रेरणा से जो बलिदान दिवस व जयन्ती मनाते है, हम भी ऐसे आयोजन देश-विदेश में भी करेंगे, यह विचार लंदन से आए वर्ल्ड सिन्धी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. लखू लोहाणा ने सोमवार को सिन्धुपति महाराजा दाहरसेन स्मारक पर अवलोकन करते हुए कहे। उन्होने सिन्ध में स्वतंत्रता आंदोलन में सिन्ध के वीर महापुरूष राणा रतन सिंह, रूपलो कोल्ही, हेमू कालाणी व अन्य प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए, हिंगलाज माता की पूजा अर्चना, सिन्ध के मानचित्र पर रक्षासूत्र बांधकर सिन्ध की भूमि हमें वापस मिले। अजमेर प्रवास पर आए डॉ. लखू लोहाणा व उनके साथियों ने महाण्डलेश्वर हंसराज उदासीन व अन्य संतों से भेंट कर आर्शीवाद प्राप्त किया व सिन्धु इतिहास एवं साहित्य शोध संस्थान पर एकत्रित सिन्धी साहित्य के संकलन को देख कर आनन्दित हुएए जिसमें सिन्ध के संत महात्मा, स्वतंत्रता सेनानियों, सिन्धु नदी, मोहन जो दड़ों व सिन्धुघाटी सभ्यता का इतिहास व चित्रों को देखकर अभिभूत हुए व शोध संस्थान के अध्यक्ष कंवल प्रकाश किशनानी ने साहित्य की पुस्तके भेंट की।

शताब्दी महोत्सव संपन्न

अजमेर, (कासं)। संतो द्वारा दिखाये गए मार्ग से सेवा, समपर्ण, सनातन में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, जिस आश्रम से हमारे पूर्वज जुडे हैं उन्ही आश्रमों व संतो की आज्ञा से अपनी युवा पीढी को जोडकर संस्कारवान बनाए। बाबा ईसरदास की समाधि से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है, ऐसे आशीर्वाचन महामण्डलेश्वर हंसराम उदासीन ने सोमवार को ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में चल रहे बाबा ईसरदास साहिब के शताब्दी महोत्सव के समापन अवसर पर कहे। बाबा ईसरदास के निर्वाण शताब्दी महोत्सव समापन पर महन्त स्वरूपदास उदासीन ने कहा कि इस सात दिवसीय धार्मिक आयोजन में अपना सहयोग दिया है, उन्हें बाबा ईसरदास व हमारे बड़े संतों का आशीर्वाद परिवार व समाज को मिलेगा।

दिव्यांग उपकरण शिविर 16 को

मसूदा, (निसं)। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मसूदा पंचायत समिति में कोई भी पात्र दिव्यांगजन अंग / उपकरण से वंचित न रहेइसको लेकर राजस्थान सरकार के वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 92 (1) उपमुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से बीस हजार तक के अंग उपकरण उपलब्ध कराए जाने हेतू पंचायत समिति मुख्यालयों पर निम्नानुसार शिविर आयोजित किए जाएंगे इसी के तहत मसूदा पंचायत समिति के सभागार में गुरुवार 16 जनवरी को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिव्यांगजनों को अंग उपकरण उपलब्ध कराने के लिए पात्र लोगों का चिन्हिकरण (श्री भगवान महावीर सेवा समिति द्वारा अंग उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे)। दिव्यांगजनों को स्वावलंबन पोर्टल पर आवेदन करवाकर नवीन यूडीआईडी कार्ड जारी करना एवं ऐसे दिव्यांगजन जिनकाऑफलाईन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है को डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करना।दिव्यांगजनों को रोडवेज पास जारी करना।विभागीय योजनओं जैसे स्वरोजगार ऋण योजना, सुखद दाम्पत्य योजना, छात्रवृति योजना एवं दिव्यांग पेंशन एवं पालनहारयोजना के नवीन आवेदन करवाना।अन्य योजनाएं जो दिव्यांगजनों से संबंधित है के आवेदन प्राप्त कर लाभान्वित करना। आवश्यक दस्तावेज: शिविर में आने वाले दिव्यांगजन अपने साथ स्वयं की 01 दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटो, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ की आदेश कॉपी एवं जिनके पास पहले से ऑफलाईन बना हुआ दिव्यांग प्रमाण पत्र है साथ लेकर उपस्थित हों।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्ग्रीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	82465924	सम्पत्ति पर ऋण	1. गजेन्द्र सिंह, 2. सजन कंवर 3. थापू कंवर	21.12.2024	4,21,324.97/-

सम्पत्ति पता- प्लाट पट्टा नं. 18, बुक नं. 26, प्लाट एरिया 1758.13 वर्गफिट अर्थात 195.35 वर्गगज, ग्राम एवं ग्राम पंचायत-गोट्रास, पंचायत समिति-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान 341305 का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमायें है पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-स्वयं का रास्ता व निकल पेसर, उत्तर-जगमाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, दक्षिण-मनोहर सिंह

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	151759205	गृह ऋण	1. पप्पू राम 2. नारायण राम	28.12.2024	3,76,275.90/-

सम्पत्ति पता- प्लाट पट्टा नं. 46, बुक नं. 49, प्लाट एरिया 54.77 वर्गगज, ग्राम-फोगडी, ग्राम पंचायत-फोगी, पेथायन समिति-भोलासर, जिला-नागौर, वर्तमान के तथा नया जिला-डीडवाना कुचामन, राजस्थान 341303 का पूरा व प्रयेक भाग और सीमाये है पूर्व-मांगीलाल, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-पेनाराम देवाराम का मकान, दक्षिण -आम रास्ता

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	72073179	सम्पत्ति पर ऋण	1. राजेन्द्र सिंह 2. भंवर कंवर	28.12.2024	5,93,937.56/-

सम्पत्ति पता- प्लाट/मकान पट्टा नं. 56, मिसल नं. 10, प्लाट एरिया 19,200 वर्गफिट ग्राम-सेवा, आनन्दी मोहल्ला भाटी बगल, ग्राम पंचायत-डीडवाना, पंचायत समिति-डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान-341303 का पूरा व प्रत्येक भासग, और सीमाये है पूर्व-आमरास्ता, पश्चिम-जीवन सिंह, उत्तर-आम रास्ता फिर ज्ञान सिंह, दाणि-गुलाब सिंह

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-

दिनांक- 14.01.2025 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान- नागौर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)